न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 149/2017
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2017/00770

वादीगण बनाम प्रतिवादी

1.हंसाराम पुत्र जैसाराम
2.रणछोड़राम पुत्र जैसाराम
3.विशनाराम पुत्र जैसाराम
4.दीपाराम पुत्र जैसाराम जाति सुथार निवासी पटाऊ कंला तहसील कल्याणपुर

1. पन्नेसिंह पुत्र चुन्नीलाल के वारिसान
1/1.शंकरसिंह पुत्र पनेसिंह
2.मगसिंह पुत्र चिमनसिंह
3.इन्द्रसिंह पुत्र चिमनसिंह
4.मिठूसिंह पुत्र लक्षमणसिंह
5.भंवरसिंह पुत्र तुलछसिंह के वारिसान
5/1. ओमसिंह पुत्र भंवरसिंह
5/2.कमलेशसिंह पुत्र भंवरसिंह
6. जेठसिंह पुत्र तुलछसिंह
7.कानसिंह पुत्र तुलछसिंह
7/1.जीवराजसिंह पुत्र कानसिंह
7/2.मंगलसिंह पुत्र कानसिंह
7/3.नैनसिंह पुत्र कानसिंह
जाति राजपुरोहित निवासी पटाऊ कलां तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा
8.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कल्याणपुर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति:–

1. श्री चेलाराम कुमावत व श्री जूंजाराम पटेल अधिवक्ता वादीगण
2. प्रतिवादी एकतरफा

निर्णय

दिनांक 20·03·2025

1. संक्षिप्त में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि वादीगण की खातेदारी भूमि ग्राम पटाऊ कलां तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 238/66 रकबा 15.09 बीघा भूमि अवस्थित है। वादीगण का अपनी खातेदारी भूमि पर शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

चला आ रहा है। प्रतिवादी द्वारा अपने मकान की पूठ बदिशा पश्चिम स्थित कांटो की बाड़ को तोड़ फोड़ कर सरका कर वादीगण की खातेदारी खसरा संख्या 238/66 की भूमि मे डाल दी,तो वादीगण द्वारा मना किए जाने पर भी नहीं माने तथा वादीगण की खातेदारी भूमि में पड़ाव भी बना दिया,तो वादीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाने के आदेश प्राप्त कर पैमाईश करवाई,तो प्रतिवादी द्वारा नेखम भी नही लगने दिए गए। प्रतिवादी द्वारा वादीगण की खातेदारी भूमि में से 1 बीघा भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर लिया गया। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वाद पत्र के संलग्न परिशिष्ट अ में वर्णित ए,बी,सी,डी पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटवाया जाकर कब्जा वादीगण को दिलवाने एवं प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने हेतु वाद पेश किया गया है।

2. वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 4,5 व 7 की ओर से अधिवक्ता श्री थानसिंह राजपुरोहित द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। उक्त प्रतिवादी अधिवक्ता को जवाब पेश किए जाने के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नही किए जाने पर जवाब बन्द किया गया। तथा निर्धारित तारीख पेशी पर उपस्थित नही होने पर प्रतिवादी के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. प्रतिवादी के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही पारित होने के कारण तनकीयात कायम की आवश्यकता नहीं रही। वादीगण के वाद पत्र का वांछित अनुतोष ही तनकीयाम मानी गई। वादी गवाहान में पी.डब्ल्यू–1 हंसाराम व पी.डब्ल्यू–2 हुकमाराम के बयानात कलमबद्व किए गए। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 से प्रदर्श– 07 प्रदर्शित करवाई गई।

4. वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता ने वाद के तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि वादीगण की खातेदारी भूमि ग्राम पटाऊ कंला तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 238/66 रकबा 15.09 बीधा भूमि अवस्थित है। वादीगण का अपनी खातेदारी भूमि पर शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी द्वारा अपने मकान की पूठ बदिशा पश्चिम स्थित कांटो की बाड़ को हटाकर वादीगण की खातेदारी भूमि में डाल दी गई,वादीगण द्वारा मना करने के उपरांत भी नहीं हटवाई गई तथा वादीगण की भूमि में अतिक्रमण करने की नियत से पड़वा भी बना दिया गया। वादीगण की ओर से अपनी

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

खातेदारी भूमि की सीमाज्ञान कार्यवाही करवाई गई। वादीगण द्वारा प्रतिवादी को अवैध अतिक्रमण हटवाने का कहने के उपरांत भी अतिक्रमण नहीं हटवाया गया। तब वादीगण की ओर से अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाने का आवेदन पेश किया गया,जो बाद सुनवाई वादीगण का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया गया। जिसकी पालना में दिनांक 10.6.2017 को नेखमबंदी पैमाईश की गई,लेकिन प्रतिवादी द्वारा नेखम लगने नही दिए गए। उक्त नेखमबंदी रिपोर्ट के संलग्न नक्शा में 1 बीघा वादीगण की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादी का अवैध कब्जा होना दर्शाया गया। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे और निवेदन किया कि वादीगण की ओर से बयानात मय दस्तावेजात से साबित किया है कि प्रतिवादी द्वारा वादीगण की खातेदारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है। अंत वादी का वाद स्वीकार किया जाकर माफिक अनुतोष वादी का वाद डिक्री किया जावें।

5. हमनें वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात,फर्द रिपोर्ट एंव बयानात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम पटाऊ कलां तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 319/134,238/66 व 267/87 कुल रकबा 94.00 बीघा भूमि वादीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। जिसमें खसरा संख्या 238/66 के संबध में वादीगण की ओर से हस्तगत वाद प्रस्तुत किया जाकर अवैध अतिक्रमण हटवाने एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का वांछित अनुतोष चाहा है। वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी एवं नक्शा प्रदर्श–2 व 3 है। वादग्रस्त आराजी की नेखमबंदी का आवेदन पेश किया गया था,जो मुकदमा संख्या 276/2016 अनवान हंसाराम बनाम भीमसिंह वगैरा पर दर्ज रजिस्टर होकर बाद सुनवाई आदेश दिनांक 11.2.2017 पारित हुआ था,जो प्रदर्श–04 है। उक्त नेखमबंदी आदेश की पालना में मौका फर्द कार्यवाही होने पर तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रेषित पत्र जो प्रदर्श–5 है तथा मौका फर्द दिनांक 10.6.2017 जो प्रदर्श–06 है। मौका फर्द दिनांक 10.6.2017 का अवलोकन करने पर पाया कि रिपोर्ट में अंकन है कि प्रार्थीगण के पास उपलब्ध नक्शे में तरमीम मौका अनुसार नही हो रखी है। इससे प्रतीत होता है कि विदयमान लटढा नक्शा की तरमीम मौका स्थिति के विपरीत होने के कारण विवाद की स्थिति पैदा हुए हो,क्योकि मौका एवं रेकर्ड में एकरूपता नहीं होने पर

उपखण्ड कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

विवाद होना संभव होता है। इस प्रकार समग्र विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि वादीगण अपना वाद साबित करने में सफल नही रहा है,क्योंकि वादीगण केवलमात्र मौका फर्द दिनांक 10.6.2017 को आधार बनाकर प्रतिवादीगण का अवैध अतिक्रमण होना बताकर वाद लाए है,जबकि उसी रिपोर्ट में यह भी उल्लेखित है कि वादग्रस्त आराजी की मौका स्थिति के अनुरूप तरमीम नहीं हो रखी है। इस कारण न्यायालय हाजा केवलमात्र फर्द मौका दिनांक 10.6.2017 के आधार पर दावा डिक्री नही कर सकता है। वादीगण की ओर से ऐसा अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया,जिससे साबित होता हो कि प्रतिवादी का वादीगण की खातेदारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण हो। इस प्रकार वादीगण अपना वाद पत्र साबित करने में सफल नही रहे है। ऐसी सूरत मे वादीगण का वाद खारिज योग्य है।

6. उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 183,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 20.03.2025 को लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा
20/3/2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 149/2017

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2017/00770

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1.हंसाराम पुत्र जैसाराम 2.रणछोड़राम पुत्र जैसाराम 3.विशनाराम पुत्र जैसाराम 4.दीपाराम पुत्र जैसाराम जाति सुथार निवासी पटाऊ कंला तहसील कल्याणपुर		1 पन्नेसिंह पुत्र चुन्नीलाल के वारिसान 1/1.शंकरसिंह पुत्र पनेसिंह 2.मगसिंह पुत्र चिमनसिंह 3.इन्द्रसिंह पुत्र चिमनसिंह 4.मिट्ठूसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह 5.भंवरसिंह पुत्र तुलछसिंह के वारिसान 5/1. ओमसिंह पुत्र भंवरसिंह 5/2.कमलेशसिंह पुत्र भंवरसिंह 6. जेठसिंह पुत्र तुलछसिंह 7.कानसिंह पुत्र तुलछसिंह 7/1.जीवराजसिंह पुत्र कानसिंह 7/2.मंगलसिंह पुत्र कानसिंह 7/3.नैनसिंह पुत्र कानसिंह जाति राजपुरोहित निवासी पटाऊ कलां तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा 8.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कल्याणपुर

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

मुकदमा नम्बर 149/2017

निर्णय दिनांक :–20.03.2025

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

वादीगण की ओर से श्री चेलाराम कुमावत अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी एकतरफा इस वाद में आज तारीख 20.3.2025 को श्री अशोककुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है** कि:–वादीगण वाद अन्तर्गत धारा 183,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। यह आज तारीख 20.03.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4...........रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामिल	रूपया ——	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2.अर्जी कें लिए स्टाम्प 3.प्लीडर की फीस 4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 5.आदेशिका की तामील 6.कमिश्नर की फीस	रूपया ————
जोड़	——	जोड़	————

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा